

NOTICE



Uploading of half yearly portfolio for the period ended March 31, 2026 for the Schemes of JM Financial Mutual Fund ("The Mutual Fund")

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/MD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024, the statement of portfolio of the schemes of the Mutual Fund for the half year ended March 31, 2026 have been hosted on the website of the Mutual Fund viz www.jmfinancialmf.com and on the website of AMFI viz www.amfiindia.com.

The Portfolio/s of the respective scheme/s have been sent to all the investors whose email ids are registered with us. However, while the investors can refer to any of the above websites for the scheme's portfolio pertaining to their respective investments, they can also request for a physical/ soft copy thereof through any of the following means:

- Telephone: Call our toll-free number at 1800 1038 345
- E-Mail: Send an email to investor@jmfi.com
- Letter: Submit a letter at any of the Investor Service Centres of the Mutual Fund or Registrar i.e. M/s. KFin Technologies Ltd., details of which are available at www.jmfinancialmf.com.

Unit holders are requested to take note of the above.

Note: Investors are requested to note that, with effect from April 01, 2026, SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 has been replaced with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 2026 and SEBI Master Circular for Mutual Funds dated June 27, 2024 has been replaced with SEBI Master Circular for Mutual Funds dated March 20, 2026.

(SEBI - Securities and Exchange Board of India)

Authorised Signatory

Place : Mumbai JM Financial Asset Management Limited
Date : April 09, 2026 (Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)

For further details, please contact :

JM Financial Asset Management Limited

Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.
Corporate Office: One International Center, 22nd Floor, Tower 2, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai-400013. Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. • Tel. No.: (022) 6198 7777 • Fax No.: (022) 6198 7704. • E-mail: investor@jmfi.com • Website : www.jmfinancialmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

REF No. 03/2026-27



रजिस्टर्ड कार्यालय: 3री मंजिल, मेगा सैक्टर 8, 222, नर्मदा रोड, मुंबई 400 029
दूरध्वनी: +91-22-3444 4000 • फैक्स: +91-22-2224 2224 • ई-मेल: investor.relations@ril.com
CIN: L17110MH1973PLC019786

सूचना

फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर और डीमैटरियलाइजेशन (डीमैट) हेतु विशेष विंडो

कृपया ध्यान दें कि दिनांक 30 जनवरी, 2026 के सेबी सर्कुलर नं. एचओ/14/19(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/अड/3040/2026 के अनुसार, फिजिकल शेयरों के ट्रांसफर और डीमैटरियलाइजेशन (डीमैट) के लिए विशेष विंडो 08 फरवरी, 2026 तक खुली रहेगी। ("सेबी सर्कुलर")
यह सुविधा उन निवेशकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 09 अप्रैल, 2026 से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कंपनी") के फिजिकल शेयर खरीदे थे, और

- शेयरों को ट्रांसफर के लिए जमा नहीं किया, या
- शेयरों को ट्रांसफर के लिए जमा किया था, लेकिन दस्तावेजों में कमीयों के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, वापस कर दिया गया, या उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

विशेष विंडो की प्रत्येक

09 अप्रैल, 2026 से पहले निम्नांकित ट्रांसफर डीड पर इस विंडो की प्रत्येकता के संबंध में स्पष्टता के लिए, निवेशक नीचे दी गई तालिका देखा सकते हैं:

क्या 09 अप्रैल, 2026 से पहले ट्रांसफर के लिए जमा किया गया था?	क्या मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र निवेशक के पास उपलब्ध है?	क्या विशेष विंडो में जमा करने योग्य हैं?
हाँ - यह जमा जमा करना है	हाँ	हाँ (सेबी सर्कुलर में बतवाई गई शर्तों के तहत है)
हाँ, लेकिन पहले अस्वीकार/वापस कर दिया गया था	हाँ	हाँ
हाँ, जमा किया था	नहीं	नहीं
नहीं, जमा नहीं किया था	नहीं	नहीं

कृपया ध्यान दें कि जिन अनुरोधों के साथ मूल शेयर प्रमाणपत्र और ट्रांसफर डीड तथा अन्य सहायक दस्तावेज होंगे, केवल उन्हीं पर विशेष विंडो के तहत विचार किया जाएगा।

जो निवेशक इस विशेष विंडो का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (यूनिट: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) से संपर्क कर सकते हैं, विनका पता सोलेमिय टॉवर - बी, फ्लॉट नं. 34 व 32, माधौबावली, फाइनैन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकमण्डा, हैदराबाद - 500 032।

अधिक माहितीसाठी मुंबईक्यादारांनी संपर्क करणे पर्याय आहे, जे येथे उपलब्ध आहे: <https://tinyurl.com/29ab3727>.

काही चौकशी करायची असल्यास ती येथे पाठवायची: rilinvestor@kfintech.com

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर/-

सांख्यिकीय पारख

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

www.ril.com

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: ONE BKC, A - Wing, 13th Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.icicipruamc.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund Half-Yearly Portfolio Statement of Schemes

NOTICE is hereby given that the half-yearly portfolio statement of schemes and investment strategies (ISIF) of ICICI Prudential Mutual Fund for half year ended March 31, 2026 has been hosted on April 9, 2026 on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz www.icicipruamc.com / www.isif.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz www.amfiindia.com in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, para 5.1.3 of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/IMD/MD-PoD-1/P/CIR/2024/90 dated June 27, 2024.

Investors may accordingly view/download the portfolio statement of schemes from the website of the AMC.

Investors can also request for the physical/soft copy of portfolio statement of schemes through any of the following means:

- Give a call at our Contact Centre at:
 - MTNL/BSNL: 1800 222 999
 - Others: 1800 200 6666
- Send an email to enquiry@icicipruamc.com
- Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centres, details of which are available on the AMC website viz www.icicipruamc.com.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Sd/-
Date : April 9, 2026 Authorised Signatory

No. 007/04/2026

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.icicipruamc.com

Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit <https://www.icicipruamc.com> or visit AMFI's website <https://www.amfiindia.com>

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

प्रमुख संख्या आइएनसी-26

(कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार नई)

कंपनी के वित्तिय बरतन को एक वर्ष के लिए नए बरतन में बदलित करने के लिए साधारण रूप से आवश्यक होने वाले निवेशकों को

केन्द्रीय सरकार के साथ

क्षेत्रीय निवेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में

और

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

(निगम अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (अ) के मामले में)

आखार इन्वेस्टमेंट्स प्राइव